# Higher Education

## (भारत में उच्च शिक्षा की संरचना व भमिका)

Dr. Mukesh Pancholi

## भारत में उच्च शिक्षा की संरचना व भूमिका –

उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विभाग है। जो भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख करता है।

विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956 की धारा (3) के तहत UGC की सलाह पर शिक्षण संस्थानों को 'विश्वविद्यालयों का दर्जा देने का अधिकार' है। अत: उच्चतर शिक्षा विभाग के घटक – विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, भाषा, दूरस्थ शिक्षा आदि है।

Dr. Mukesh Pancholi

उच्चतर शिक्षा विभाग ही उच्च शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाता है।

**उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका –**

1. सभी माध्यमों से सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि।
2. समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को उच्च शिक्षा में बढ़ाना।
3. गुणवत्ता (उच्च शिक्षा) की व अकादमिक सुधारों को बढावा देना।
4. नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व मौजूदा संस्थानों के विस्तार व सुधार करना।
5. उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास करना।
7. भारतीय भाषाओं व साहित्य का विकास करना।
8. शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

Dr. Mukesh Pancholi

# भारत में उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा

- Dept. of Higher Education, MHRD
- Association of Indian University
- CABE
- State Council for H.E.

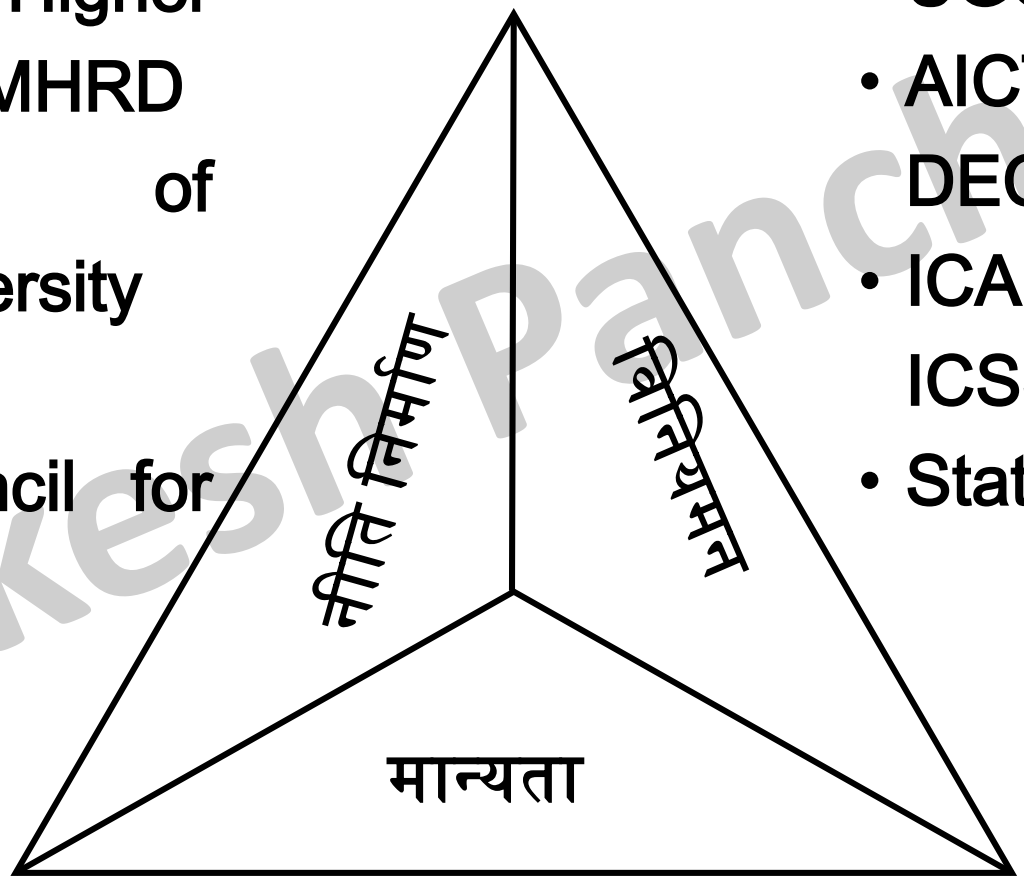


- UGC
- AICTE, MCI, PCI, DEC, BCI, NCTE
- ICAR, ICMR, ICSSR, CSIR
- State Regulatory

- National Board of Accreditation
- National Assortment and Accreditation council (NAAC)

Dr. Mukesh Pancholi

## UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) –

## इतिहास –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन वर्ष 1945 में (सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर) अलीगढ़, बनारस व दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख के लिए किया गया था। 1947 में इसे सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी दे दी गई। उस समय इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था।

Dr. Mukesh Pancholi

स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1953 में इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था अर्थात् इसका औपचारिक उद्घाटन 28 दिसम्बर, 1953 को वैज्ञानिक अनुसंधान के तत्कालीन मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया। नवम्बर 1956 में भारतीय संसद द्वारा।

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' के पारित होने पर यूजीसी एक सांविधिक निकाय बन गया।

यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है व अनुदान भी देता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

Dr. Mukesh Pancholi

पुणे, भोपाल, कोलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी व बैंगलोर में 6 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित कर अपने कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया है।

दिसम्बर, 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत् रैंकिंग फ्रेमवर्क का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जो अप्रैल, 2016 तक सभी शैक्षिक संस्थानों को रैंक देगा।

दिसम्बर, 2017 से डी.पी. सिंह (पूर्व निदेशक राष्ट्रीय मूल्यांकन वप्रत्यायन परिषद्) को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त है। (16 दिसम्बर, 2019 update)

Dr. Mukesh Pancholi

UGC को उच्च शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त है, तथा UGC Act के अनु. 12 में UGC के दो उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है –

i. उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्तपोषण करना
ii. उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों का समन्वय निर्धारण तथा अनुरक्षण करना।

UGC केन्द्र व राज्य सरकार के बीच उच्च शिक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है व विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार हेतु केन्द्र व राज्य सरकार को सलाह भी देता है।

Dr. Mukesh Pancholi

## UGC की संरचना –

आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा शर्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, आयोग में (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व (10) अन्य सदस्य होते है, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष / 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। इनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा सकता है। उपाध्याक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

आयोग में केन्द्र सरकार के (2) अधिकारी, (1) शिक्षा सचिव व (1) वित्त सचिव होता है।

Dr. Mukesh Pancholi

इसके अलावा (3) सदस्य विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर होते है। अन्य सदस्यों का चयन कृषि, तकनीकी, वैज्ञानिक, उद्योग आदि क्षेत्रों से होता है।

भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र में डॉ. सी.डी. देशमुख UGC के प्रथम अध्यक्ष थे।

Dr. Mukesh Panchali